फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सुशील बनाम **सुल्तान**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 86 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
08.07.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल न0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मोजा सुरजनसर के खाता संख्या 28/28 की कुल 6.2620हैक्ट में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा में से सायल के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावें यदि इस सम्बध में गैरसायलान को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। खाला व रास्ता की भूमि पर एवं गैरसायलान के अतिरिक्त अन्य सयुक्त खातेदारों के हिस्से पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 18.082021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
18/8/21	~~वकील सायल उपस्थित गैरसायल उपस्थित नहीं गैरसायल की तामील प्राप्त नहीं पत्रावली इन्तजार तामील रिपोर्ट 26/10/21 को पेश हो~~ (हस्ताक्षर)	
26/10/21	~~वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली [illegible] कोर्ट में पेश हुई प्रार्थी ने अपना वाद [illegible] [illegible] के प्रार्थना [illegible] नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो~~ (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) पत्रावली [illegible]

Scanned with CamScanner